राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

कमांकः–एफ–07 / 193 / रालसा–संस्था / एसीआर पत्राचार / 2022 / 288 दिनांक 28/05/22

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विभाग में कार्यरत गैर–न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने के संबंध में विभिन्न आदेश संख्या 409 दिनांक 18.08.2017, 377 दिनांक 07.07.2018 एवं 414 दिनांक 25.07.2018 जारी किये गये हैं, जिन्हें निरस्त करते हुए निम्नानुसार नवीन कार्यालय आदेश जारी किया जाता हैः–

1. यह आदेश वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु भरे जाने वाले वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं इसके उपरान्त भरे जाने वाले वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के क्रम में लागू होगा।
2. वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन हेतु विचारण अवधि पूर्व की भांति प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च ही रहेगी।
3. कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र प.13(51)का / क–1 / गो.प्र. / 2022 दिनांक 30.03.2022, 22.04.2022 एवं 02.05.2022 के अनुसार राज्य कर्मचारियों के वित्तीय वर्ष 2021–22 से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन भरे जायेंगे।
4. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर एवं राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जयपुर / जोधपुर कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग द्वितीय में, बतौर प्रतिवेदक अधिकारी निदेशक, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव जयपुर / जोधपुर, उप सचिव–प्रथम, उप सचिव–द्वितीय एवं उप सचिव, एपी एण्ड एडीआर व सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जयपुर / जोधपुर, उन कर्मचारीगण के, जोकि संबंधित अधिकारीगण के साथ कार्य हेतु लगाए गए हैं, की प्रविष्टियां करेंगे, तथा भाग तृतीय में बतौर समीक्षक अधिकारी की प्रविष्टियां निदेशक, रालसा एवं भाग चतुर्थ में बतौर स्वीकारकर्ता अधिकारी, सदस्य सचिव रालसा द्वारा प्रविष्टियां की जायेंगी।
5. वरिष्ठ उप सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग द्वितीय में बतौर प्रतिवेदक अधिकारी, निदेशक रालसा व भाग तृतीय में बतौर समीक्षक अधिकारी, सदस्य सचिव रालसा एवं भाग चतुर्थ में बतौर स्वीकारकर्ता अधिकारी की प्रविष्टियां माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा द्वारा की जायेंगी।
6. सदस्य सचिव, रालसा के निजी सचिव के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग द्वितीय में बतौर प्रतिवेदक एवं भाग तृतीय में बतौर समीक्षक अधिकारी, सदस्य सचिव रालसा द्वारा प्रविष्टियां की जायेंगी तथा भाग चतुर्थ में बतौर स्वीकारकर्ता अधिकारी माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा द्वारा प्रविष्टियां की जायेंगी।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक एवं स्टेनोग्राफर, रालसा के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग द्वितीय में बतौर प्रतिवेदक अधिकारी, वे अधिकारीगण, जिनके साथ अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक एवं स्टेनोग्राफर को कार्य हेतु लगाया गया हैं, प्रविष्टियां करेंगे। भाग तृतीय में बतौर समीक्षक अधिकारी निदेशक, रालसा तथा भाग चतुर्थ में बतौर स्वीकारकर्ता अधिकारी, सदस्य सचिव रालसा द्वारा प्रविष्टियां की जायेंगी।
8. लेखाधिकारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग द्वितीय में बतौर प्रतिवेदक अधिकारी, निदेशक रालसा, प्रविष्टियां करेंगे। तत्पश्चात् भाग तृतीय में बतौर समीक्षक अधिकारी, विभागीय अध्यक्ष (सदस्य सचिव, रालसा) द्वारा प्रविष्टियां की जायेंगी एवं भाग चतुर्थ में बतौर स्वीकारकर्ता अधिकारी की प्रविष्टियों हेतु सचिव, वित्त विभाग (राजस्व), राजस्थान सरकार को प्रेषित किये जायेंगे।

9. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर एवं राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जयपुर/जोधपुर कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी प्रथम/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय तथा कनिष्ठ लेखाकार के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग द्वितीय में बतौर प्रतिवेदक अधिकारी, लेखाधिकारी द्वारा प्रविष्टियां की जायेंगी। तत्पश्चात् भाग तृतीय में बतौर समीक्षक अधिकारी, निदेशक, रालसा द्वारा प्रविष्टियां की जायेंगी एवं विभागीय अध्यक्ष (सदस्य सचिव), रालसा द्वारा बतौर समीक्षक अधिकारी उक्त के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे व स्वीकृति हेतु निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित किये जायेंगे।

10. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मुख्यालय कार्यालय पर पदस्थापित प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन के भाग द्वितीय में बतौर प्रतिवेदक अधिकारी, विभाग के आईटी के नोडल अधिकारी एवं भाग तृतीय में बतौर समीक्षक अधिकारी विभागाध्यक्ष (सदस्य सचिव), द्वारा प्रविष्टियां की जायेंगी एवं भाग चतुर्थ में बतौर स्वीकारकर्ता अधिकारी की प्रविष्टियां हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित किये जायेंगे।

11. (i) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारीगण के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग–द्वितीय में बतौर प्रतिवेदक अधिकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भाग तृतीय में बतौर समीक्षक अधिकारी अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं भाग चतुर्थ में बतौर स्वीकारकर्ता अधिकारी सदस्य सचिव, रालसा द्वारा प्रविष्टियां की जायेंगी।

(ii) तालुका विधिक सेवा समिति, कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारीगण के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग–द्वितीय में बतौर प्रतिवेदक अधिकारी अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, भाग तृतीय में बतौर समीक्षक अधिकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं भाग चतुर्थ में बतौर स्वीकारकर्ता अधिकारी सदस्य सचिव, रालसा द्वारा प्रविष्टियां की जायेंगी।

(iii) स्थायी लोक अदालत कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारीगण के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग द्वितीय में बतौर प्रतिवेदक अधिकारी, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत एवं भाग तृतीय में बतौर समीक्षक अधिकारी, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं भाग चतुर्थ में बतौर स्वीकारकर्ता अधिकारी, सदस्य सचिव, रालसा द्वारा प्रविष्टियां की जायेंगी।

(iv) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कार्यालयों में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग द्वितीय में बतौर प्रतिवेदक अधिकारी, कार्यालय अध्यक्ष (सचिव), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रविष्टियां की जायेंगी। तत्पश्चात् भाग तृतीय में बतौर समीक्षक अधिकारी, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रविष्टियां की जायेंगी। भाग चतुर्थ में बतौर स्वीकारकर्ता अधिकारी की प्रविष्टियों हेतु निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

आज्ञा से,
28.5.2022

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर

C:\Users\RSLSA\Desktop\Dir\Order ACR.docx

क्रमांक 11782-11904 दिनांक 28/5/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव माननीय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. निदेशक/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव प्रथम/द्वितीय/एपी एण्ड एडीआर रालसा जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
5. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
6. अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ,समस्त राजस्थान को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि समस्त कर्मचारीगण, प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी व स्वीकारकर्ता अधिकारी को सूचित करावें।
7. अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, समस्त राजस्थान।
8. वित्त सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान सरकार।
10. प्रभारी अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार।
11. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट को निर्देशित किया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारीगण की ऑनलाईन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अग्रेषण के संबंध में प्रोग्रामर कार्यालय हाजा को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करें तथा आदेश को विभागीय बेवसाईट पर भी अपलोड करावें।
12. जिले के संबंधित आईटी अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जिले के कर्मचारीगण की ऑनलाईन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अग्रेषण के संबंध में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
13. वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव/सहायक सचिव/निजी सचिव/अतिरिक्त निजी सचिव/निजी सहायक/आशुलिपिक, रालसा।
14. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार, रालसा।
15. समस्त अधिकारी/कर्मचारी..।
16. संबंधित पत्रावली/ आदेश रक्षित पत्रावली।

28/05/2022

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।